**राजस्थान सरकार**
**परिवहन विभाग**

क्रमांक प. 12(9) परि/सां./मो./2009 जयपुर, दिनांक 29/9/09

**कार्यालय आदेश संख्या** 29/09

राजस्व लक्ष्यों की उपलब्धि की समीक्षा करने पर स्पष्ट हुआ है कि निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि कम रही है। यह चिन्ता का विषय है। मुख्यालय के सभी जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा उनको आवंटित जिलों के निरीक्षण के दौरान राजस्व अर्जित करने में अनुभव की गई कठिनाइयों एवं बैकलॉग सहित राजस्व लक्ष्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित कार्यवाही की जावे–

1. राजस्व लक्ष्यों की उपलब्धि की माह अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 09 तक पाक्षिक रूप से समीक्षा की जावे एवं इसके पश्चात माह जनवरी 2010 से साप्ताहिक रूप से समीक्षा की जावे।
2. पाक्षिक समीक्षा के दौरान कम उपलब्धि पाये जाने वाले अन्तिम 5 जिलों के परिवहन अधिकारियों एवं अन्तिम तीन प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावे एवं संतोषपद नहीं होने पर चार्ज शीट जारी की जावे।
3. जिलों को आवंटित राजस्व लक्ष्यों की प्रगति में उड़नदस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए समस्त उड़नदस्तों को प्रशमन राशि के साथ ही चालानों के लक्ष्य भी आवंटित किये जावे तथा इनकी अक्टूबर माह से उपलब्धि की नियमित रूप से मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जावे।
4. जिला प्रभारी अधिकारी उनको आवंटित जिलों के उड़नदस्तों को आवंटित चालान एवं प्रशमन राशि के लक्ष्यों की अपने स्तर पर पाक्षिक समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्त नही करने वाले निरीक्षकों के संबंध में अपनी टिप्पणी सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।
5. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी उनके जिले में पुरानी बकाया कर राशि, चालू वर्ष के कर की प्राप्ति, हायर एण्ड रिवार्ड के चालान, लम्बित चालानों के निस्तारण, प्रशमन राशि की संशोधित दरों के अनुसार वसूली आदि के प्रयासों से राजस्व लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जावे।
6. प्रशमन राशि की बढ़ी हुई दरों के प्रभाव का आंकलन मुख्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

माह अक्टूबर से राजस्व लक्ष्यों की प्रगति को प्राथमिकता देते हुए शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जावे। इसमें शिथिलता बरतने को अत्यन्न गंभीरता से लिया जावेगा।

आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
4. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
5. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. समसत जिला परिवहन अधिकारी।

अपर परिवहन आयुक्त (संड़क सुरक्षा)